



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :- 86/2016

दायर तारीख : 14.09.2016

1. रामचन्द्र पुत्र मूसाराम जाति गुर्जर निवासी बीछावाला (मालीवाडा) तन पूरावाला तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)। —वादी
बनाम

1. हनुमान पुत्र मूसाराम जाति गुर्जर निवासी बीछावाला (मालीवाडा) तन पूरावाला तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)।
2. बैंक ऑफ बडौदा(बी.ओ.बी.) जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा विराटनगर, जिला जयपुर राज0।
3. दी जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जरिये शाखा प्रबंधक दी जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा विराटनगर जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
5. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी
श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
पैरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय

निर्णय दिनांक :- 08.08.2019

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम मालीवाडा के खसरा नंबर 481/0.05, 482/0.04, 496/0.21, 518/0.04, 519/0.05, 525/0.17, 539/0.45, 540/0.21, 541/0.20, 542/0.05, 543/0.04, 549/0.04, 550/0.16, 553/0.17, 554/0.14, 555/0.05, 563/0.14, 564/0.09, 565/0.09, 566/0.27, 567/0.26, 570/0.25, 571/0.10, 572/0.05, 581/0.15, 582/0.21, 601/0.12, 602/0.14, 609/0.19, 615/0.15, 616/0.17, 624/0.10, 625/0.01, 702/0.10, 704/798/0.07, 705/0.07, 705/800/0.06, 706/0.15, 707/0.15, 707/797/0.06, 708/0.11 हैक्टैयर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2068-2071 है। आराजी मुतनाजा का





वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। आराजी मुतनाजा के बाहमी बंटवारे में खसरा नंबर 482/0.04, 540/0.21, 541/0.20, 543/0.04, 553/0.17, 564/0.09, 567/0.26, 581/0.15, 582/0.21, 601/0.12, 602/0.14, 615/0.15, 516/0.17, 624/0.10, 625/0.01, 702/0.10, 704/798/0.07, 705/800/0.06, 707/0.15, 708/0.11 हैक्टेयर भूमि वादी के हिस्से में तथा खसरा नंबर 481/0.05, 518/0.04, 519/0.05, 525/0.17, 539/0.45, 542/0.05, 549/0.04, 550/0.16, 554/0.14, 555/0.05, 563/0.14, 565/0.09, 566/0.27, 570/0.25, 571/0.10, 572/0.05, 609/0.19, 705/0.07, 706/0.15, 707/797/0.06 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई। एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नंबर 496/0.21 हैक्टेयर भूमि में आवास बनाकर संयुक्त रूप से काम में ले रहे है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादी अपने बंटवारे में प्राप्त भूमि को काफी पैसा खर्चा करके काबिज काश्त योग्य बनाया है प्रतिवादी संख्या 1, वादी को बंटवारा न करने के संबंध में धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम मालीवाडा के खसरा नंबर 481/0.05, 482/0.04, 496/0.21, 518/0.04, 519/0.05, 525/0.17, 539/0.45, 540/0.21, 541/0.20, 542/0.05, 543/0.04, 549/0.04, 550/0.16, 553/0.17, 554/0.14, 555/0.05, 563/0.14, 564/0.09, 565/0.09, 566/0.27, 567/0.26, 570/0.25, 571/0.10, 572/0.05, 581/0.15, 582/0.21, 601/0.12, 602/0.14, 609/0.19, 615/0.15, 616/0.17, 624/0.10, 625/0.01, 702/0.10, 704/798/0.07, 705/0.07, 705/800/0.06, 706/0.15, 707/0.15, 707/797/0.06, 708/0.11 हैक्टेयर भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवारा किया जाकर खसरा नंबर 482/0.04, 540/0.21, 541/0.20, 543/0.04, 553/0.17, 564/0.09, 567/0.26, 581/0.15, 582/0.21, 601/0.12, 602/0.14, 615/0.15, 616/0.17, 624/0.10, 625/0.01, 702/0.10, 704/798/0.07, 705/800/0.06, 707/0.15, 708/0.11 कुल कित्ता 20 रकबा 2.55 हैक्टेयर का वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एवं खसरा नंबर 496/0.21 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी पूर्ववत् रखी जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।



2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 146 संवत् 2068-2071, नक्शा ट्रेस पेश की है।
3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावा में कथन रहे कि वादी ने जो भूमि अपने हिस्से में अंकित की है, उस में अधिकांश खसरा नंबर पर प्रतिवादी संख्या 1 भी काबिज काश्त है। एवं अधिकांश खसरा नंबरों में मौके पर आधा-आधा कर काश्त कर रहे है। वादी ने अपनी पंसद की भूमि पर जबरन काबिज होकर हडपना चाहता है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में कम उपजाऊ, बजरं भूमि अंकित की है। एवं खसरा नंबर 496/0.21 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने आवास बनाकर उपयोग में ले रहे है। तथा कथन रहे कि जब मौके पर विवादित आराजी का आपसी खातेदारों में मिट्स एण्ड बाइण्ड के आधार पर बंटवारा ही नहीं हुआ तो कानूनी बंटवारा करवाना आवश्यक नहीं हैं।
5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पूरावाला में पेश होने पर वादी एवं अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित हुए तथा लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा हेतु समझाइश की गई। परन्तु वादी एवं प्रतिवादी की तरफ से राजीनामा पेश नहीं किया गया।
6. तारीख पेशी 16.08.2018 को अधिवक्ता उभयपक्षों का निवेदन रहा कि प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित है, अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रैजात रिपोर्ट प्राप्त प्रकरण कर निस्तारण किया जावे। अधिवक्ता उभयपक्षों के निवेदन पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को नियमानुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।
7. तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 27.09.2019 को कुर्रैजात रिपोर्ट पेश की गई
8. प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की आपत्ति रही कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त को ध्यान में नहीं रखा गया। खसरा नम्बर 705 को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में अंकित किया गया है जबकि मौके पर वादी का कब्जा है। खसरा नंबर 601, 602 को वादी की हिस्से में अंकित किया गया है, जबकि मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है। यह है कि खसरा नंबर 616 के लगता हुआ प्रतिवादी संख्या 1 की अन्य भूमि है, जिसमें आने-जाने हेतु खसरा नंबर 616 में से रास्ता है, जबकि कुर्रैजात रिपोर्ट में खसरा नंबर 616 का सम्पूर्ण हिस्सा ही वादी की हिस्से में अंकित किया है। तथा खसरा नंबर



571, 572 प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में अंकित किया गया, बल्कि मौके पर वादी का कब्जा है। एवं खसरा नंबर 581, 582 कुर्रेजात रिपोर्ट में वादी के हिस्से में अंकित किया गया, बल्कि मोके पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है। खसरा नंबर 555 को कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 1 को दिया गया है, बल्कि मोके पर मूला, शंकर, रामजीलाल गुर्जर का कब्जा है, इसी प्रकार खसरा नंबर 550, 542 पर भी मूला, शंकर, रामजीलाल गुर्जर का कब्जा है, जो की विवादित भूमि हैं। खसरा नंबर 482 प्रतिवादी को दिया गया है, जबकि वादी का कब्जा है, वादी ने खसरा नंबर 481, 482 का एक खेत बना रखा है। एवं खसरा नंबर 519 प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में अंकित किया गया है, जबकि मौके पर इस खसरा नंबर वादी कब्जा काशत है। वादी ने खसरा नंबर 518, 519 का भी एक खते बना रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया है कि पक्षकारों के मध्य उचित व न्यायसंगत बंटवारा हेतु माननीय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाया जाना फरमावें।

9. वादी ने जवाब उजरात प्रार्थना पत्र पेश किया की खसरा नंबर 705, 706 पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा है, एवं कुर्रेजात रिपोर्ट में भी उसके हिस्से में ही अंकित किया है। एवं खसरा नंबर 601, 602 पर वादी का कब्जा काशत है, वादी के निवास मकान बना हुआ है। एवं खसरा नंबर 616 से लगती हुई प्रतिवादी संख्या की भूमि नहीं है, जब भूमि ही नहीं है तो आने-जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। तथा खसरा नंबर 571, 572 पर प्रतिवादी का कब्जा होने के कारण कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में अंकित किया गया है, खसरा नंबर 581, 582 पर वादी का कब्जा होने के कारण कुर्रेजात रिपोर्ट में वादी के हिस्से में अंकित किया गया है, खसरा नंबर 482 वादी के हिस्से में एवं खसरा नंबर 481 प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में अंकित किया गया है, वादी एवं प्रतिवादी हिस्से के अनुसार ही काबिज काशत कर रहे है। तथा खसरा नंबर 518 व 519 पर प्रतिवादी का कब्जा होने के कारण कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी के हिस्से में ही अंकित किया गया है। वादी के विशेष कथन रहे कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हुए आपसी मनबट एवं कब्जे काशत को ध्यान में रखते हुए ही कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसे किसी भी प्रकार से गलत नहीं कहा जा सकता है। एक तरफ वादी के बट में प्रस्तावित खसरा नंबरों में चाही द्वितीय एवं तृतीय की कुल भूमि का रकबा 1.51 हैक्टेयर बनता है। एवं बारानी द्वितीय एवं तृतीय का रकबा 1.03 हैक्टेयर बनता है वही दूसरी तरफ प्रतिवादी के हिस्से में प्रस्तावित भूमि चाही द्वितीय का रकबा 1.48 हैक्टेयर एवं बारानी द्वितीय व तृतीय का हिस्सा 1.09 हैक्टेयर बनता हैं जो कुल मिलाकर आपसी मनबट के हिसाब से 0.03 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी के हक में ही ज्यादा आ रही है।



10. तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 27.06.2019 को पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई।

11. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

12. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम मालीवादा के खसरा नंबर 481/0.05, 482/0.04, 496/0.21, 518/0.04, 519/0.05, 525/0.17, 539/0.45, 540/0.21, 541/0.20, 542/0.05, 543/0.04, 549/0.04, 550/0.16, 553/0.17, 554/0.14, 555/0.05, 563/0.14, 564/0.09, 565/0.09, 566/0.27, 567/0.26, 570/0.25, 571/0.10, 572/0.05, 581/0.15, 582/0.21, 601/0.12, 602/0.14, 609/0.19, 615/0.15, 616/0.17, 624/0.10, 625/0.01, 702/0.10, 704/798/0.07, 705/0.07, 705/800/0.06, 706/0.15, 707/0.15, 707/797/0.06, 708/0.11 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2068-2071 है। आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने-अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है, परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। आराजी मुतनाजा के बाहमी बंटवारे में खसरा नंबर 482/0.04, 540/0.21, 541/0.20, 543/0.04, 553/0.17, 564/0.09, 567/0.26, 581/0.15, 582/0.21, 601/0.12, 602/0.14, 615/0.15, 616/0.17, 624/0.10, 625/0.01, 702/0.10, 704/798/0.07, 705/800/0.06, 707/0.15, 708/0.11 हैक्टेयर भूमि वादी के हिस्से में तथा खसरा नंबर 481/0.05, 518/0.04, 519/0.05, 525/0.17, 539/0.45, 542/0.05, 549/0.04, 550/0.16, 554/0.14, 555/0.05, 563/0.14, 565/0.09, 566/0.27, 570/0.25, 571/0.10, 572/0.05, 609/0.19, 705/0.07, 706/0.15, 707/797/0.06 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई। एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नंबर 496/0.21 हैक्टेयर भूमि में आवास बनाकर संयुक्त रूप से काम में ले रहे है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादी अपने बंटवारे में प्राप्त भूमि को काफी पैसा खर्चा करके काबिज काश्त योग्य बनाया है प्रतिवादी संख्या 1, वादी को बंटवारा न करने के संबंध में धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश



करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 27.09.2019 प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा आपत्ति होने के कारण तहसीलदार विराटनगर से बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 27.06.2019 को पुनः प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 1 ने पुनः आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे अस्वीकार किया जाता है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

13. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	रामचन्द्र पुत्र मूस्या हिस्सा 1/2 राहिन दी जयपुर सेन्द्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा विराटनगर मूर्तहीन व हिस्सा 1/2 बिला रहन	482/0.04, 540/0.21, 541/0.20, 543/0.04, 553/0.17, 564/0.09, 567/0.26, 581/0.15, 582/0.21, 601/0.12, 602/0.14, 615/0.15, 616/0.17, 624/0.10, 702/0.10, 704/798/0. 07, 705/800/0.06, 707/0.15, 708/0.11 हैक्टेयर



2	हनुमान पुत्र मूस्या हिस्सा 1/2 BOB राहिन शाखा विराटनगर मूर्तहीन व हिस्सा 1/2 बिला रहन	481/0.05, 518/0.04, 519/0.05, 525/0.17, 539/0.45, 542/0.05, 549/0.04, 550/0.16, 554/0.14, 555/0.05, 563/0.14, 565/0.09, 566/0.27, 570/0.25, 571/0.10, 572/0.05, 609/0.19, 705/0.07, 706/0.15, 707/797/0. 06 हैक्टेयर
3	1. रामचन्द्र पुत्र मूस्या हिस्सा 1/4 राहिन सेन्द्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा विराटनगर मूर्तहीन व हिस्सा 1/4 बिला रहन 2. हनुमान पुत्र मूस्या हिस्सा 1/4 BOB शाखा विराटनगर मूर्तहीन व हिस्सा 1/4 बिला रहन	496/0.21, 625/0.01 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 08.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर



डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइअलास :- राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1. रामचन्द्र पुत्र मूसाराम जाति गुर्जर निवासी बीछावाला (मालीवाडा) तन पूरावाला तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)। —वादी
बनाम

1. हनुमान पुत्र मूसाराम जाति गुर्जर निवासी बीछावाला (मालीवाडा) तन पूरावाला तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)।
2. बैंक ऑफ बडौदा(बी.ओ.बी.) जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा विराटनगर, जिला जयपुर राज0।
3. दी जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जरिये शाखा प्रबंधक दी जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा विराटनगर जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
5. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 86/2016 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रुबरू श्री आनंद सिंह शेखावत व हाजरीमिन जानिब मुद्दई रुबरू श्री धनश्याम गुर्जर, प्रतिवादी संख्या 1 कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम मालीवाडा के खसरा नंबर 481/0.05, 482/0.04, 496/0.21, 518/0.04, 519/0.05, 525/0.17, 539/0.45, 540/0.21, 541/0.20, 542/0.05, 543/0.04, 549/0.04, 550/0.16, 553/0.17, 554/0.14, 555/0.05, 563/0.14, 564/0.09, 565/0.09, 566/0.27, 567/0.26, 570/0.25, 571/0.10, 572/0.05, 581/0.15, 582/0.21, 601/0.12, 602/0.14, 609/0.19, 615/0.15, 616/0.17, 624/0.10, 625/0.01, 702/0.10, 704/798/0.07, 705/0.07, 705/800/0.06, 706/0.15, 707/0.15, 707/797/0.06, 708/0.11 हैक्टेयर भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवारा किया जाकर खसरा नंबर 482/0.04, 540/0.21, 541/0.20, 543/0.04, 553/0.17, 564/0.09, 567/0.26, 581/0.15, 582/0.21, 601/0.12, 602/0.14, 615/0.15, 616/0.17, 624/0.10, 625/0.01, 702/0.10, 704/798/0.07, 705/800/0.06, 707/0.15, 708/0.11 कुल कित्ता 20 रकबा 2.55 हैक्टेयर का वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित




किया जावे। एवं खसरा नंबर 496/0.21 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी पूर्ववत् रखी जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	रामचन्द्र पुत्र मूस्या हिस्सा 1/2 राहिन दी जयपुर सेन्द्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा विराटनगर मूर्तहीन व हिस्सा 1/2 बिला रहन	482/0.04, 540/0.21, 541/0.20, 543/0.04, 553/0.17, 564/0.09, 567/0.26, 581/0.15, 582/0.21, 601/0.12, 602/0.14, 615/0.15, 616/0.17, 624/0.10, 702/0.10, 704/798/0.07, 705/800/0.06, 707/0.15, 708/0.11 हैक्टेयर
2	हनुमान पुत्र मूस्या हिस्सा 1/2 BOB राहिन शाखा विराटनगर मूर्तहीन व हिस्सा 1/2 बिला रहन	481/0.05, 518/0.04, 519/0.05, 525/0.17, 539/0.45, 542/0.05, 549/0.04, 550/0.16, 554/0.14,

		555 / 0.05, 563 / 0. 14, 565 / 0.09, 566 / 0.27, 570 / 0. 25, 571 / 0.10, 572 / 0.05, 609 / 0. 19, 705 / 0.07, 706 / 0.15, 707 / 797 / 0.06 हैक्टेयर
3	1. रामचन्द्र पुत्र मूस्या हिस्सा 1/4 राहिन सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा विराटनगर मूर्तहीन व हिस्सा 1/4 बिला रहन 2. हनुमान पुत्र मूस्या हिस्सा 1/4 BOB शाखा विराटनगर मूर्तहीन व हिस्सा 1/4 बिला रहन	496 / 0.21, 625 / 0. 01 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 08.08.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर



मुबलिकशून्य..... बाबतशून्य.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरतशून्य..... की
 सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तकशून्य..... का
 अंदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख
 08.08.2019 को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे
 डिक्री के जरिये दिखाया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर